भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 905
गुरूवार, 09 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार सूचना सेवा

905. **श्री निरंजन बिशीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई रोजगार सूचना सेवा स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को प्रवासी कार्यबल की लिंग-वार संरचना की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) रोजगार सूचना सेवा प्रदान की जाती है।

सरकार करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, शिक्षुता, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को लागू कर रही है। ये सेवाएं एनसीएस पोर्टल (**www.ncs.gov.in**) के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस परियोजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित स्थानीय स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करने, आउटरीच गतिविधियां आयोजित करने और करियर परामर्श प्रदान करने आदि जैसी रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्यों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्र (एमसीसी) भी स्थापित कर रही है।

(ग): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में प्रवासी पुरुष और महिला कामगारों/श्रमिकों की संख्या क्रमशः 3,50,16,700 और 64,06,217 है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो प्रवासी कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। दिनांक 03.02.2023 तक इस पोर्टल पर 28.56 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों (प्रवासी कामगारों सहित), जिनमें 15.08 करोड़ महिलाएं और 13.48 करोड़ पुरुष शामिल हैं, को पंजीकृत किया गया है।

*****